

20.12.25 पत्रावली पेश हुई मन्त्रिमंडल (उभयपक्षीय)
 मन्त्रिमंडल मन्त्रिमंडल ने जाहिर किया
 कि मूल वाद खारिज हो गया है।
 मन्त्रिमंडल मन्त्रिमंडल द्वारा 212 राजस्थान
 काष्ठकारी मन्त्रिमंडल 1955 में भारत
 प्रदेश के विरुद्ध अपील चलने योग्य
 नहीं है। मन्त्रिमंडल मन्त्रिमंडल के निवेदन
 को स्वीकार किया जाकर अपील
 इसी स्टेज पर खारिज की
 जाती है। पत्रावली के अंश श्रुति
 नंबर 6 का होकर बाद
 तामिल तमिल दायित्व दफतर
 हो। प्रदेश लरे इजलाश मुद्राया
 गया।

Handwritten signature

Handwritten signature
 20/12/2025
 (नवनीत कुमार)
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 बादमेर

राजस्थान सरकार
 राजस्व विभाग
 बादमेर